न्यायालय,भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 49 वर्ष 2016

आवेदक– जीबलाल महतो
ग्राम – नर्रा टोला–डाही
थाना – चन्द्रपुरा जिला–बोकारो

क्रेता– नितेश्वरी देवी
ग्राम – नर्रा टोला–डाही
थाना – चन्द्रपुरा जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख साथ।
01	02	03

आदेश

c.c. issued 14/12/17

यह वाद आवेदक– जीबलाल महतो पिता स्व0 डोमन महतो ग्राम–नर्रा टोला डाही थाना–चन्द्रपुरा जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
नर्रा	89	13	2338	2.52 ए0	05 डी0	आवासीय योग्य
			2339	0.57 ए0	05 डी0	आवासीय योग्य
	कुल योग				10 डी0	

को वे अपनी बिमारी का ईलाज खर्च हेतु मो0 90,000/– (नब्बे हजार) रूपये में क्रेता–नितेश्वरी देवी पति नुनूचन्द महतो ग्राम नर्रा थाना–चन्द्रपुरा जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 162/रा0 दिनांक 02.04.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा के पत्रांक 786 दिनांक 10.11.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों मौजा नर्रा थाना–चन्द्रपुरा जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि मौजा ग्राम–नर्रा खाता न0 51 सर्वे खतियान में उनके परदादा इन्दा कुर्मी के नाम से दर्ज है तथा उसकी जमाबन्दी दादा बिहारी महतो नाम पंजी–II के पृष्ठ सं0 56/1 पर जमाबन्दी चल रही है तथा वर्ष 2014--15 तक लगान रसीद निर्गत है।
03. बिक्री वाल जमीन बिक्रेता के अंश की जमीन है तथा विवादित नहीं है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता जीबलाल महतो के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा इन्दा कुर्मी के नाम सर्वे खतियानी जमीन है तथा जमाबन्दी बिहारी महतो के नाम चल रही है। बिक्री की जाने वाली जमीन उनके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश क्रेता के साथ बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन विवादित नहीं है, तथा वर्तमान में उनके दखल कब्जे में है।

उभय पक्षों के द्वारां निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है–

01. बिक्रेता–इन्दा कुर्मी के नाम सर्वे खतियान तथा बिहारी महतो के नाम सरकारी लगान रसीद एवं स्वयं के नाम अधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता के द्वारा स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिला के अंतर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के पूर्वज के नाम खतियानी एवं उसके हिस्से की जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

अतः आवेदक– जीबलाल महतो पिता स्व0 डोमन महतो ग्राम–नर्रा टोला डाही थाना–चन्द्रपुरा जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
नर्रा 89	13	2238	2.52 ए0,	05 डी0	जानकी महतो	जगरनाथ महतो	पुरन महतो एवं आंगनबाडी का चहारदिवारी	जानकी महतो
		2339	0.57 ए0	05 डी0				
	कुल योग			10 डी0	दस डीस्मिल मात्र			

मो0 90,000/– (नब्बे हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– नितेश्वरी देवी पति नुनूचन्द महतो ग्राम नर्रा थाना –चन्द्रपुरा जिला –बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 04:47:28 -08:00
Location: 192.168.1.35